प्रश्न सं. [क्र. 1189]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1189, प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट–~~एक~~

माननीय विधायक श्रीइन्दर सिंह परमार

चर्चा दिनांक 18.12.2019

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना में रोगियों की उपचार सहायता प्रक्रिया

योजना की स्वीकृत हेतु निर्देश एवं नियम :–

- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय यदि उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करते है तो उनकी मान्यता तत्काल पृथक किया जावें।
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय आर.बी.एस.के. के अंतर्गत निर्धारित मॉडल कॉस्टिंग पैकेज अनुसार उपचार प्रदान करेगा एवं इसमें उल्लेखित अनुसार संबंधित मरीज का दस्तावेजीकरण भी करेगा।
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय जिला स्तर पर निःशुल्क कैंप आयोजित कर या व्यक्तिगत निःशुल्क जांच कर प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा। जांच हेतु पृथक से शुल्क चिकित्सालय द्वारा नहीं लिया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय जिला स्तर पर निःशुल्क कैंप आयोजित कर बच्चों का चिन्हांकन करता है तो कैंप में आने वाले बच्चों हेतु निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करायेगा।
- बच्चों के उपचार के समय संबंधित चिकित्सालय मरीज के साथ एक व्यक्ति को निःशुल्क आवास एवं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध करायेगा।
- मरीज को 01 माह तक संबंधित चिकित्सालय निःशुल्क औषधी भी उपलब्ध करायेगी तथा फॉलोअप के समय किसी भी प्रकार शुल्क नहीं लेगा।
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार के समय भर्ती होने पर यदि मरीज को रक्त आदि की आवश्यकता होती है या सर्जरी के पूर्व होने वाली समस्त जांच संबंधित चिकित्सालय निःशुल्क उपलब्ध करायेगा। पृथक से इसके लिए संबंधित चिकित्सालय कोई शुल्क नहीं लेगा।
- निर्धारित पैकेज का अतिरिक्त कोई भी राशि चिकित्सालय का जारी नहीं की जावें और न ही चिकित्सालय अतिरिक्त शुल्क की मांग मरीज या शासन से करेगा।
- मान्यता प्राप्त चिकित्सालय उपचार हेतु जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र मरीज के डिस्चार्ज उपरांत एक माह में अनिवार्यतः संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा करना होगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ आर.बी.एस.के. के मॉडल कॉस्टिंग पैकेज में प्रोसिजर कोड़ अनुसार उल्लेखित किए गए दस्तावेज प्रमाण हेतु संबंधित संस्था द्वारा लगाना अनिवार्य होगा साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र में यह टीप भी अकित करेगें की चिकित्सालय द्वारा मरीज से अतिरिक्त कोई राशि प्राप्त नहीं की गई। यदि अधिक राशि प्राप्त करने का प्रमाण उपलब्ध होता है तो संबंधित चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जावेंगी।

उप संचालक, आर.बी.एस.के.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश